फाइल नं0-71-1002/7/2022

22/2023/I/289283/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 17 मार्च, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर के संचालन हेतु Diabetic Awareness Van/Bus के क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/572, दिनांक 24.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु डायबेटिक रेटेनोपैथी सेटर के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष Diabetic Awareness Van/Bus के क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-7/2023/I/265333/2023-71-1002/7/2022, दिनांक 23.01.2023 द्वारा मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु डायबेटिक रेटिनोपैथी के उपचार जागरूकता हेतु/उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए मानक मद-26 मशीनें और सज्जाउपकरण / और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष उपकरणों की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 24.02.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को शासनादेश दिनांक 23.01.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष Diabetic Awareness Van/Bus के क्रय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर के संचालन हेतु Diabetic Awareness Van/Bus का क्रय जेम पोर्टल/ ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाए।
2. प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अधिकृत किया जाता है कि कॉलेज स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित जर्नलाइज्ड स्पेसिफिकेशन के आधार पर डायबेटिक रेटिनोपैथी सेंटर के संचालन हेतु अनुमोदित उपकरणों/सामग्रियो का क्रय किया जाए।
3. शासनादेश संख्या-7/2023/I/265333/2023-71-1002/7/2022, दिनांक 23.01.2023 में उल्लिखित शर्ते यथावत् रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा- प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।